



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/श्रावण 15, 1941

No. 452]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2019/SHRAVANA 15, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

सं. 31/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 561(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 फरवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 156(अ) दिनांक 26 फरवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैसर्स झिंगयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन, बीएचडी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैसर्स झिंगयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन, बीएचडी से भिन्न अन्य कोई भी उत्पादक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 354/30/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2019

No. 31/2019-Customs(ADD)

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2019-Customs (ADD), dated the 26th February, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 156(E), dated the 26th February, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (6), the entry “Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 2, for the entry in column (6), the entry “Any producer other than Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.” shall be substituted.

[F. No. 354/30/2019 –TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.